

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)



File no- CHG/DRG/M.Sand-2/RPR

खानकोड- 42CHG05001

दिनांक:-19.04.2023

प्रेषिति-

श्री महेंद्र कुमार सेकसरिया  
वार्ड नं.- 36, गंजपारा,  
पोस्ट एवं जिला - दुर्ग,  
छत्तीसगढ़-491001  
E-mail- [mkseksaria@gmail.com](mailto:mkseksaria@gmail.com)

विषय- : Violation of provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017, in respect of your Karahidih Moulding Sand Mine over an area of 4.04 hectare (Mine Code 42CHG05001) located in District Durg of Chhattisgarh State.

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 18.03.2023 को श्री सौमाल्या रॉय, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री लोकेश चन्द्र कुर्रे, खनन अभियंता की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1 <sup>st</sup> day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2020-21.
55 (1) ( c) (ii)	Part time Geologist have not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2)) के अंतर्गत खान की सारी खनन संक्रियाएँ बंद की जा सकती है। नियम 55 (1) ( c) (ii) का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के Schedule III के अंतर्गत राशि 500000/- रुपये का जुर्माना (Through Bharat Kosh) भरना होगा।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनो का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दयानन्द उपाध्याय)  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
3. निदेशक ;(सांख्यिकी) एवं प्रभारी अधिकारी ख.ख.सां.वि. भारतीय खान ब्यूरो, वी मंजिल, ब्लॉक डी, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001।

(दयानन्द उपाध्याय)  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर